



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमा शुल्क गृह, विलिंग्डन आईलैंड, कोच्चिन-682009
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009



Website: www.cochincustoms.gov.in

E-mail: commr@cochincustoms.gov.in

Control Room: 0484-2666422

Fax: 0484-2668468

DID No. 2835100

F.No.CUS/APR/MISC/3595/2021-A/GR

दिनांक Dated. 16.06.2021

व्यापार सुविधा सं. TRADE FACILITY NO.14/2021

विषय: सिस्टम में अधिसूचना संख्या 32/2021-सीमा शुल्क दिनांक 31.05.2021 का कार्यान्वयन-से संबंधित(आईसीईएस परामर्शिका(एडवाइजरी) 14/2021)।

Subject : Implementation of Notification No. 32/2021 -Customs dated 31.05.2021 in System- Reg (ICES Advisory 14/2021)

व्यापार के सदस्यों का ध्यान सीबीआईसी अधिसूचना संख्या 32/2021-सीमा शुल्क दिनांक 31.05.2021 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार ने अधिसूचना संख्या 27/2021- सीमा शुल्क दिनांक 20.04.2021 और 28/2021-सीमा शुल्क दिनांक 24.04.2021 में एकीकृत माल और सेवाओं की धारा 5 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (7) के तहत उस पर लगने वाले संपूर्ण एकीकृत कर (अर्थात् आईजीएसटी) से कर अधिनियम, 2017, इस अधिसूचना संख्या 32/2021 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीननिर्दिष्ट विवरण वाले सामान को छूट देने का निर्णय लिया है।

Kind attention from members of Trade is invited to CBIC Notification No. 32/2021-Customs dated 31.05.2021 wherein the Central Government has decided to exempt the goods of the description as specified in the Notifications No. 27/2021- Customs dated 20.04.2021 and 28/2021-Customs dated 24.04.2021, from the whole of integrated tax (i.e. IGST) leviable thereon under sub-section (7) of section 3 of the Customs Tariff Act, read with section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, subject to the conditions specified in this Notification No. 32/2021.

इसके अलावा तदर्थ छूट आदेश संख्या 04/2021- सीमा शुल्क दिनांक 03.05.2021 पर संदर्भ आमंत्रित है, जिसे पहले मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) छूट के साथ-साथ आईजीएसटी छूट प्रदान करने व सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 27/ 2021 और 28/2021 में दिए सी टी एच वस्तुओं के लिए पूर्वोक्त तदर्थ आदेश में निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर जारी किया गया था। इस तदर्थ छूट आदेश के परिणामस्वरूप, अधिसूचना 27/2021-सीमा शुल्क दिनांक 20.04.2021 और 28/2021-सीमा शुल्क दिनांक 24.04.2021 को आईजीएसटी छूट के लिए दावा करने के लिए सिस्टम में उपलब्ध कराया गया था।

Further reference is invited to the Adhoc Exemption Order No. 04/2021- Customs dated 03.05.2021 issued earlier for granting IGST exemption along with the Basic Customs Duty (BCD) exemption, also for the CTHs items mentioned in the Customs Notification Nos 27/2021 and 28/2021 on fulfilling the conditions stipulated in the aforesaid Adhoc


Order. Consequent to this Adhoc Exemption Order, Notifications 27/2021-Customs dated 20.04.2021 and 28/2021-Customs dated 24.04.2021 were made available in System to be claimed for IGST exemption as well.

जैसा कि देखा जा सकता है, अधिसूचना 32/2021-सीमा शुल्क दिनांक 31.05.2021 को भी माल के एक ही सेट पर अलग-अलग शर्तों के साथ आई जी एस टी से छूट देने के लिए अब जारी किया गया है। उक्त अधिसूचना संख्या 32/2021 को अनुलग्नक ए में उल्लिखित क्रम संख्या के साथ अधिसूचना संख्या 27/2021 और 28/2021 के अनुरूप वस्तुओं के लिए सिस्टम में अद्यतन किया गया है। तदनुसार, यदि अधिसूचना 32/2021 दिनांक 31.05.2021 में उल्लिखित शर्तों के तहत माल का आयात किया जा रहा है, तो आयातक/सीमा शुल्क ब्रोकर अनुबंध ए में दिए गए लागू सीरियल नंबर का उपयोग करके छूट का दावा कर सकते हैं। तदर्थ छूट आदेश 04/2021-सीमा शुल्क के अनुसार छूट प्राप्त करने के लिए सिस्टम में प्रक्रिया दिनांक 03.05.2021 जैसा कि ऊपर पैरा 2 में उल्लेख किया गया है, वही रहेगी।

As can be seen, Notification 32/2021-Customs dated 31.05.2021 has also been issued now to exempt IGST on the same set of goods, but with different conditions. The said Notification No. 32/2021 has been updated in the System for the items corresponding to the Notifications No. 27/2021 and 28/2021 with the serial numbers mentioned in the Annexure A. Accordingly, if the goods are being imported under the conditions mentioned in Notification 32/2021 dated 31.05.2021, then importer/custom broker can claim the exemption using the applicable serial number as given in Annexure A. The procedure in System for availing the exemption as per Adhoc exemption order 04/2021-Cus dated 03.05.2021 continues to remain the same as mentioned in Para 2 above.

यह अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त किसी भी अधिसूचना के तहत आई जी एस टी छूट का दावा करने वाली घोषणाओं को सही ढंग से दर्ज किया जाए।

It is requested that the declarations claiming IGST exemption under any of the above notifications are filed correctly.



मो. यूसफ़ MOHD.YOUSAF
आयुक्त COMMISSIONER

F.No.:CUS/APR/MISC/3595/2021-A/GR

दिनांक Dated:16.09.2021

प्रतिलिपि Copy to :

1. आयुक्त की फाईल Commissioner's File
2. वेबसाइट Website

प्रतिलिपि प्रेषित Copy Submitted to:

मुख्य आयुक्त केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क The Chief
Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs